

कार्यालय- मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, राजसमन्द (राज0)

क्रमांक:-स्था0/2021/

दिनांक 08.06.2021

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 11/पी.आई./2021 दिनांक 07.06.2021 के अनुसरण में परिवर्तित परिस्थितियों में कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने एवं दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु इस न्यायालय/अधिकरण में दिनांक 09.06.2021 से दिनांक 28.06.2021 तक निम्न कार्यव्यवस्था अमल में लाई जाती है।।

01- कोई भी अतिआवश्यक प्रकृति के प्रकरण/प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के ई-मेल mact-raj-rj@hcraj.nic.in पर भेजे जायेंगे, जो इस शर्त के साथ स्वीकार किये जायेंगे कि जैसे ही नियमित रूप से न्यायालय कार्य चालू होता है, उस समय प्रकरण/प्रार्थना पत्र की मूल प्रति पक्षकार/अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय/अधिकरण में .7 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर दिये जावेंगे। अधिकृत ई-मेल पर भेजे जाने वाले अति आवश्यक प्रकरण/प्रार्थना पत्र आदि के साथ पक्षकार/अधिवक्ता के मोबाईल नम्बर जिस पर वॉट्सअप हैं का विवरण तथा पक्षकार/अधिवक्ता का सम्पूर्ण पता व ई-मेल पता उसके साथ भेजा जायेगा।

02- अतिआवश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/वीडियो कॉल/वाट्सअप/वाईस कॉल के माध्यम से मोबाईल नम्बर 9782066237 (रीडर) व देवेन्द्रकुमार पुरोहित 9928344281 पर की जावेगी।

उक्त अति आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की सुनवाई हेतु निम्न तिथियां सुनिश्चित की जाती हैं।

वर्तमान नियत तारीख	आगामी नियत तारीख	वर्तमान नियत तारीख	आगामी नियत तारीख
09.06.2021	30.06.2021	19.06.2021	17.07.2021
10.06.2021	01.07.2021	21.06.2021	12.07.2021
11.06.2021	02.07.2021	22.06.2021	06.07.2021
14.06.2021	05.07.2021		
15.06.2021	29.06.2021		
16.06.2021	07.07.2021		
17.06.2021	08.07.2021		
18.06.2021	09.07.2021		

नोट:- दिनांक 23.06.2021 से 28.06.2021 तक की तिथियों में पत्रावलियां पेशी में नहीं हैं।

परिवर्तित दिनांक शीघ्र ही सी आई एस पर अपट्रेड कर दी जायेगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण को अत्यावश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई चाहता है तो वह इस संबंध में कारणों को अंकित करेगा तथा यदि न्यायालय/अधिकरण सुनवाई के पश्चात् यह उचित पाता है कि प्रकरण वास्तव में अत्यावश्यक प्रकृति का है तो वह ऐसे प्रकरण की सुनवाई हेतु अग्रसर होगा।

न्यायाधीश,

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

राजसमन्द

क्रमांक:- स्था0/2021/

दिनांक

प्रतिलिपी सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है।

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, राजसमन्द
2. अधिवक्ता संघ को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस सूचना से समस्त अभिभाषक को सूचित कराये तथा अभिभाषकगण से भी अनुरोध है कि अपने पक्षकारान को प्रकरणों की तारीखों की सूचना मोबाईल आदि से दे ताकि न्यायालय में आने से बचें और संक्रमण मुक्त और सुरक्षित रहें।

3. आदेश की प्रति सिस्टम ऑफिसर को प्रेषित कर लेख है कि न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।

4. सूचना की प्रति न्यायालय नोटिस बोर्ड पर लगाई जावे।

न्यायाधीश,

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

राजसमन्द